

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0168/अ-20(3)/2023-24 / 3.18



म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)

द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण यावत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07/01/2025 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 12.780 हेक्टेयर में से 7.750 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0011/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 28/03/2024, 14/05/2024 एवं 25/09/2024 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 12.780 हेक्टेयर में से 7.750 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में दिनांक 29/02/2024 से उद्घोषणा का प्रकोशन किया गया नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई साथ ही दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराये जाने हेतु लेख किया गया। समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024 एवं पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गयी, जो की प्रकरण में संलग्न है। खसरा एवं अकश नक्शा लाल स्याही से चिह्नित होकर प्रति संलग्न है। नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0055/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 15/04/2024, 27/05/2024 एवं 11/11/2024 से नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी का पत्र क्रमांक डीएम/2023/1116 दिनांक 15.03.2023 संलग्न है जिसमें स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 12.780 हेक्टेयर में से 7.750 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी, नायब तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत बम्हारी जनपद पंचायत शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 17 दिनांक 10/03/2024, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति, जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर हेतु ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 12.780 हेक्टेयर में से 7.750 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार संचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 52,08,000/- (बावन लाख आठ हजार रूपयें) संबंधित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अवश-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत, अभिलेख में अमल कराये एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न कराये। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक... 27/01/2025

प्रकरण क्र./0168/अ-20(3)/2023-24 / 398

प्रतिनिधि

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराये तदुपरांत, अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलाये एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरीली स्ट्राटाटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:झिरनिया			पटवारी हल्का:बम्हारी			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष:
											2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	मौरुपी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611389867 83MS3LDAQ6R8H0	3/1 (S)		7.7500 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0168/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट